

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प0 1(18)एमई/ग्रुप-1/1991

जयपुर, दिनांक

02 MAR 2022


आदेश

डॉ. रोहिताश्व दाना, वरिष्ठ आचार्य, रेडियोथैरेपी विभाग, मेडिकल कॉलेज, जयपुर (जन्म तिथि 04.01.1958) के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर दिनांक 31.01.2023 (मध्याह्न पश्चात) से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रोहिताश्व दाना, वरिष्ठ आचार्य, रेडियोथैरेपी विभाग, मेडिकल कॉलेज, जयपुर के विरुद्ध आदिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


आज्ञा से

  
(इकबाल खान)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
6. डॉ. रोहिताश्व दाना, वरिष्ठ आचार्य, रेडियोथैरेपी विभाग जरिये प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
7. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

  
(अशोक कुमार सोनी)  
उप शासन सचिव